भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 465

जिसका उत्तर 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

25 भाद्रपद, 1942 (शक)

आधार के लिए जनजातीय लोगों का नामांकन

465. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय लोगों की कुल जनसंख्या में से आधार पहचान पत्र के लिए नामांकित किए गए लोगों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को सरकारी पहचान पत्र के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और **(ख)** : आधार (नामांकन और अद्यतन) निमावली, 2016 के विनियमन 4 (6) के अनुसार, "जनसांख्यिकीय सूचना में निवासी का जाति वर्ग, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता का रिकार्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होंगे"। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (यूआईडीएआई) आधार हेतु नामांकन के समय सिर्फ निम्नलिखित जनसांख्यिकीय विवरण एकत्र करते हैं :

1 नाम, 2 जन्म तिथि, 3 निवास का पता 4 लिंग

अत:, अपेक्षित सूचना यूआईडीएआई द्वारा नहीं रखी जाती है।

*****